PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2017/4138

॥श्री॥ निगरानी प्र0 क्र0 -

प्रस्तुती दिनांक: 25/10/017

मानवीय सदस्य महोदय, राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर केम्प इंदौर

(19)

1/- जुझारसिंह पिता सेवसिंह राजपूत ,आयु 65 वर्ष,

2/- श्रीमति दीपाबाई पति जुझारसिंह राजपूत आयु 58 साल,

3/- कुलदीपसिंहपिता जुझारसिंह राजपूत, आयु 21 वर्ष,

सभी निवासी-ग्राम सोलसिन्दा तहसील सांवेर

जिला इन्दौर (म0प्र0) - - - निगरानीकर्ता

श्री राम प्रवेश तोमर अभि. द्वारा 25-10-017 को कैम्प में प्रस्तुत किया। 25/10/17

विरुद्ध

1/- श्रीमति सीमाबाई पिता जुझारसिंह पति लाखनसिंह

आयु 40 साल, पता ग्राम बीसाखेडी तहसील सांवेर

जिला इंदौर ।

2/- श्रीमति हीराबाई पिता जुझारसिंह पति ध्यान सिंह

आयु 35 वर्ष, पता ग्राम जामगोद तहसील देवास

जिला देवास । - - - अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र: अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू- राजस्व संहिता 1959 के तहत।

मानवीय महोदय,

निवेदन है, कि-

माननीय अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग सांवेर जिलाइंदौर द्वारा अपील प्र0 क्र0 46/अपील/16-17 मैं पारित अंतरित आदेश अवधि विधान की धारा 5 मैं पारित आदेश दिनांक 30/8/2017 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर उसे निरस्त करने हेतु यह निगरानी नियत समयावधि मैं माननीय न्यायालय के समक्ष सादर प्रस्तुत है -

अविरत---(2)पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/4138

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-2019	आवेदकगण की ओर से श्री एम.एस. तोमर, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदकगण की ओर से एम.एल. चौधरी, अभिभाषक उपस्थित । आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष कलेक्टर के समक्ष दिनांक 22-4-2019 को उपस्थित हों । अनावेदक सूचित हों। अध्यक्ष	